# FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ____ मुकाम ____

प्रेमलता देवी / बनाम प्रकाशित व

किस्म मुकदमा प्रा पत्र 212 RTA नं. 252 सन् 2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 23/7/2021 | अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा. पत्र पेश कर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पर एकतरफा बहस सुनने की प्रार्थना की जिसे स्वीकार किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया एव अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी एव कब्जेकाश्त की आराजी खाता संख्या 819 ख. नं. 1031 रकबा 0.47 है0, ख. नं. 1032 रकबा 0.81 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.28 है0 वाके तनग्राम दूनी तहसील दूनी में स्थित है। उक्त आराजीयात में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा होने से प्रार्थीया के हिस्से में 0.64 है0 भूमि आती है। जिस पर प्रार्थीया व अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 ने मौके पर विभाजन कर रखा है और अपने अपने हिस्सेनुसार काश्त करते है। प्रार्थीया के हिस्से में ख. नं. 1031 सम्पूर्ण व ख. नं. 1032 में से 0.17 है0 जो ख. नं. 1031 के अड़वा है जिस पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त है और प्रार्थीया ने ख. नं. 1031 के दक्षिणी कोने पर कुएं का निर्माण कर रखा है जिससे प्रार्थीया अपने हिस्से की जमीन काश्त करती है। उक्तानुसार मौके पर बंटवारा हो रखा है परन्तु विधिवत राजस्व रिकॉर्ड मे बंटवारा नही होने के कारण प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के मध्य आये दिन लगान व कब्जे को लेकर विवाद होता रहता है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को सहमति से तकासमा करवाने के लिए कहा परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 नही माने और प्रार्थीया के महिला होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीया के हिस्से की भूमि को हड़पने व कब्जा करने की नियत से प्रार्थीया के कब्जेकाश्त में मजामहत व बाधा उत्पन्न करने लगे जिसके कारण प्रार्थीया को न्यायालय में आना पडा। अतः अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को प्रार्थीया के उक्तानुसार कब्जेकाश्त भूमि के उपयोग-उपभोग में मजामहत व बाधा उत्पन्न नही करने, फसल लाने ले जाने, बोने, काटने आदि तथा विधिवत तकासमा नहीं होने तक उक्त भूमि को रहन, दान, बेचान, अन्य को हस्तान्तरण नहीं करने बाबत जरिये बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।<br><br>पत्रावली का सरसरी तौर पर अवलोकन व अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस से प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते हैं । अतः जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को पाबंद किया जाता है कि वे स्वयं या अन्य किसी माध्यम से आराजी खाता संख्या 819 ख. नं. 1031 रकबा 0.47 है0, ख. नं. 1032 रकबा 0.81 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.28 है0 वाके तनग्राम दूनी तहसील दूनी में स्थित<br><br>सि.वि. | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व ता... अहकाम जो इ... की तामील में जा... |
|---|---|---|

प्रार्थीया के उक्तानुसार कब्जेकाश्त के हिस्से के उपयोग-उपभोग व कब्जेकाश्त में किसी भी माध्यम से व किसी भी प्रकार से मजामहत व बाधा उत्पन्न नहीं करे व मौके की यथास्थिति बनाए रखे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगण की तलबी जारी हो। पत्रावली दिनांक 03.09.2021 को पेश हो।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

28/8/2021. आज [illegible] प्रार्थीया ने वाद को एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके आधार पर वाद withdraw चाहा जाकर खारिज किया जाकर वाद खारिज होने से यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता। अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 23/7/2021 अपास्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible] (अंगूठा निशान)

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)